

सामाजिक सर्वेक्षण का महत्व (IMPORTANCE OF SOCIAL SURVEY)

अनेक सामाजिक तथ्यों की प्रकृति इस तरह की होती है कि उनका समुचित ज्ञान प्राप्त करने के लिए अनुसन्धान की अपेक्षा सर्वेक्षण को अधिक महत्व दिया जाता है। अनुसन्धान की तुलना में एक सर्वेक्षण-कार्य को कम समय में ही पूरा किया जा सकता है। विषय से सम्बन्धित सामान्य प्रवृत्तियों को समझने तथा समस्या के विभिन्न पहलुओं को विस्तार से जानने के लिए भी सर्वेक्षण एक उपयोगी प्रविधि है। सर्वेक्षण के गुणों अथवा इसकी उपयोगिता को निम्नांकित क्षेत्रों में देखा जा सकता है—

(1) **अध्ययन-विषय से प्रत्यक्ष सम्बन्ध**—एक सर्वेक्षणकर्ता अध्ययन-विषय से सम्बन्धित लोगों के प्रत्यक्ष सम्पर्क में आकर विभिन्न सूचनाएँ और तथ्य एकत्रित करता है। इससे प्राप्त निष्कर्ष अधिक वस्तुनिष्ठ और वैज्ञानिक हो जाते हैं।

(2) **समस्याओं का आनुभविक अध्ययन**—सामाजिक सर्वेक्षण एक ऐसी प्रविधि है जिसके द्वारा किसी भी समस्या के सभी पक्षों का अनुभवसिद्ध अध्ययन करना सम्भव हो जाता है। आनुभविक रूप से प्राप्त होने वाले तथ्यों के आधार पर एक विशेष दशा के कारणों को समझना सर्वेक्षण की विशेषता है। इन आनुभविक निष्कर्षों को अधिक विश्वसनीय माना जाता है।

(3) **अध्ययन में वस्तुनिष्ठता**—सामाजिक सर्वेक्षण के दौरान अध्ययनकर्ता के व्यक्तिगत विचारों, भावनाओं और अनुभवों का कोई महत्व नहीं होता। सर्वेक्षण द्वारा सम्बन्धित उत्तरदाताओं से जो वास्तविक सूचनाएँ प्राप्त होती हैं, उन्हीं के आधार पर विषय की विवेचना की जाती है। इसके फलस्वरूप सर्वेक्षण से प्राप्त निष्कर्ष अधिक वैज्ञानिक अथवा वस्तुनिष्ठ होते हैं।

(4) **उपकल्पना के निर्माण में सहायक**—सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त तथ्यों की सहायता से अध्ययनकर्ता के लिए किसी समस्या से सम्बन्धित उपकल्पना का निर्माण करना सरल हो जाता है। ऐसी उपकल्पनाएँ अधिक व्यावहारिक होती हैं। सर्वेक्षण से प्राप्त तथ्यों से ही यह स्पष्ट होता है कि अध्ययनकर्ता की उपकल्पना सही है अथवा गलत। सर्वेक्षण किसी उपकल्पना का सत्यापन करने की भी एक उपयोगी प्रणाली है।

1 Hans Raj, *Theory and Practice in Research*, pp. 279-80.

(5) **समस्याओं का वैज्ञानिक समाधान**—वर्तमान युग में सामाजिक परिवर्तन की गति इतनी तेज है कि समाज में सदैव नयी-नयी समस्याएँ पैदा होती रहती हैं। सर्वेक्षण के द्वारा विभिन्न समस्याओं से सम्बन्धित ऐसे तथ्य प्राप्त किये जा सकते हैं जो उन समस्याओं का समाधान करने में सहायक हो सकें। सर्वेक्षण से प्राप्त निष्कर्षों को पढ़ने वाले व्यक्ति भी अपनी सामाजिक समस्याओं के निराकरण के प्रति अधिक जागरूक हो जाते हैं।

(6) **जनमत की माप**—लोकतान्त्रिक समाजों में जनता का मत या विचार सबसे बड़ी ताकत होती है। यही कारण है कि समय-समय पर सरकार द्वारा महत्वपूर्ण विषयों पर जनता की राय को जानने के लिए सर्वेक्षण आयोजित किये जाते हैं। प्रेस रिपोर्टों तथा विभिन्न संगठनों के द्वारा भी सरकार के विभिन्न निर्णयों, प्रशासन की नीतियों, पुलिस के आचरणों, विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रति जनता की राय तथा विकास कार्यक्रमों के मूल्यांकन से सम्बन्धित तथ्य एकत्रित करने के लिए सर्वेक्षण आयोजित किये जाते हैं। ऐसे सर्वेक्षण जनमत की माप के द्वारा महत्वपूर्ण निष्कर्ष देते हैं। सरकार के महत्वपूर्ण फैसले साधारणतया सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त जनमत पर ही निर्भर होते हैं।

(7) **संस्थाओं और सामाजिक संरचना का अध्ययन**—किसी भी समाज की संरचना को प्रभावित करने और लोगों के व्यवहारों को प्रभावित करने में सामाजिक संस्थाओं का विशेष योगदान होता है। सर्वेक्षण के द्वारा परिवार, वैवाहिक मनोवृत्तियों, धर्म, शिक्षण-प्रणाली, मनोरंजन की प्रकृति, न्याय-व्यवस्था, विभिन्न रीति-रिवाजों, ग्रामीण नेतृत्व आदि के बारे में ऐसे तथ्य एकत्रित किये जाते हैं जो लोगों की बदलती हुई मनोवृत्तियों और व्यवहारों को स्पष्ट करते हैं।

(8) **व्यावहारिक लाभ**—आज जीवन का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिससे सम्बन्धित सूचनाएँ एकत्रित करने के लिए सर्वेक्षण को एक उपयोगी प्रणाली के रूप में न देखा जाता हो। उदाहरण के लिए, 'बाजार-सर्वेक्षण' के द्वारा किसी विशेष वस्तु की माँग को समझकर उत्पादन को नियन्त्रित किया जा सकता है। 'पेंशन सम्बन्धी सर्वेक्षणों' के द्वारा नयी वस्तुओं के आविष्कार को प्रोत्साहन मिलता है। गाँवों में कृषि सम्बन्धी नवाचारों (Innovations) के प्रभाव का अध्ययन करने से विकास कार्यक्रमों के वास्तविक प्रभाव को समझा जा सकता है। शिक्षा के नये तरीकों और नये पाठ्यक्रमों के प्रभावों का अध्ययन करने से रोजगार के नये अवसरों का ज्ञान होता है।

भारतीय समाज के सन्दर्भ में सामाजिक सर्वेक्षणों की उपयोगिता और भी अधिक है। भारतीय समाज एक बहुजन समाज है। हमारे समाज में आज व्यवसाय, रहन-सहन के तरीकों, सामाजिक मूल्यों और मनोवृत्तियों में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। तरह-तरह की सामाजिक समस्याएँ भी जीवन में नयी चुनौतियाँ पैदा कर रही हैं। सर्वेक्षण से प्राप्त तथ्यों के दौरान सामान्य लोगों को इन समस्याओं के प्रति अधिक जागरूक बनाया जा सकता है। साथ ही, समाज के दुर्बल वर्गों की दशा में सुधार करने के लिए सर्वेक्षण से उपयोगी तथ्य प्राप्त हो सकते हैं। सरकार द्वारा लागू विभिन्न विकास कार्यक्रमों को अधिक व्यावहारिक रूप देने में भी सामाजिक सर्वेक्षण से प्राप्त तथ्यों का विशेष योगदान प्रमाणित हो चुका है।

सामाजिक सर्वेक्षण की सीमाएँ

(LIMITATIONS OF SOCIAL SURVEY)

सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में सर्वेक्षण प्रविधि के भी अपने कुछ दोष अथवा सीमाएँ हैं। संक्षेप में इन्हें निम्नांकित रूप से समझा जा सकता है—

(1) **अध्ययन का सीमित क्षेत्र**—सामाजिक सर्वेक्षण के द्वारा अध्ययन की जाने वाली समस्याओं और घटनाओं का क्षेत्र बहुत सीमित होता है। इसका तात्पर्य है कि जिस विषय का अध्ययन एक व्यापक क्षेत्र से सम्बन्धित होता है अथवा जो विषय बहुत-से पक्षों में विभाजित होता है, उससे सम्बन्धित तथ्यों को सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त करने में बहुत कठिनाई होती है।

(2) **अमूर्त घटनाओं के अध्ययन में अव्यावहारिक**—सामाजिक सर्वेक्षण के द्वारा केवल उन्हीं घटनाओं का अध्ययन किया जा सकता है जो मूर्त अथवा स्थूल प्रकृति की होती हैं। जिन घटनाओं का सम्बन्ध व्यक्तियों के पारस्परिक सम्बन्धों, मनोवृत्तियों, प्रत्याशाओं, विश्वासों जैसी अमूर्त दशाओं से होता है, सर्वेक्षण विधि के द्वारा उनका अध्ययन करना यदि असम्भव नहीं तो बहुत कठिन जरूर होता है।

(3) **तात्कालिक समस्याओं के अध्ययन तक सीमित**—सर्वेक्षण द्वारा केवल एक समय विशेष की सामाजिक घटनाओं अथवा समस्याओं का ही अध्ययन किया जा सकता है। इसके द्वारा

अतीत की घटनाओं को नहीं समझा जा सकता। एक विशेष स्थान अथवा समय पर किये गये सर्वेक्षण से प्राप्त तथ्यों को किसी दूसरे स्थान या समय के लिए उपयोगी नहीं कहा जा सकता।

(4) अधिक समय और धन की आवश्यकता—सर्वेक्षण द्वारा तथ्यों को एकत्रित करने में अधिक समय लगता है तथा साथ ही यह एक खर्चीली प्रविधि है। अनेक सर्वेक्षण इस तरह के होते हैं जिनको पूरा होने में अनेक वर्ष लग जाते हैं। इसके फलस्वरूप सर्वेक्षण करने वाले लोगों के उत्साह और संयम को बनाये रखना कठिन हो जाता है। सर्वेक्षण करने वाले व्यक्तियों के वेतन और विभिन्न उपकरणों के उपयोग के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि अधिकांश सर्वेक्षण सरकारी अथवा अर्द्ध-सरकारी संगठनों द्वारा ही किये जाते हैं।

(5) प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की कमी—किसी सर्वेक्षण से उपयोगी तथ्य तभी प्राप्त किये जा सकते हैं जब सर्वेक्षण करने वाले कार्यकर्ता समुचित रूप से प्रशिक्षित हों। इसके विपरीत, साधारणतया धन और समय की कमी के कारण ऐसे कार्यकर्ताओं को समुचित प्रशिक्षण नहीं मिल पाता। फलस्वरूप अधिकांश कार्यकर्ता वास्तविक तथ्यों को एकत्रित करने के प्रति उदासीन रहते हैं।

(6) विश्वसनीयता सन्देहपूर्ण—सामाजिक सर्वेक्षण द्वारा एकत्रित तथ्य हमेशा विश्वसनीय नहीं होते। इसका कारण यह है कि अप्रशिक्षित सर्वेक्षणकर्ता अक्सर अपने निजी विचारों, अनुभवों और पूर्वाग्रहों से प्रभावित होकर घटना को उसके वास्तविक रूप में नहीं देखते बल्कि मनमाने रूप से प्रस्तुत कर देते हैं। अनेक दशाओं में सर्वेक्षणकर्ता निहित स्वार्थों के कारण उन्हीं तथ्यों को एकत्रित करता है जिनके द्वारा पहले से ही निर्धारित एक विशेष निष्कर्ष दिया जा सके। उदाहरण के लिए, जो समाचार-पत्र एक विशेष विचारधारा से प्रभावित होते हैं, वे चुनाव पूर्व किये जाने वाले सर्वेक्षण के निष्कर्ष इस तरह प्रस्तुत कर देते हैं जिससे उन्हीं की विचारधारा वाले राजनीतिक दल को जीतता हुआ दिखाया जा सके। इससे सर्वेक्षण के निष्कर्ष सन्देहपूर्ण और अवैज्ञानिक हो जाते हैं।

(7) गहन अध्ययन के लिए अनुपयोगी—सर्वेक्षण के दौरान केवल उन्हीं तथ्यों का संग्रह किया जा सकता है जो किसी विषय अथवा समस्या की सामान्य प्रकृति को स्पष्ट कर सकें। जिन विषयों के अध्ययन के लिए बहुत गहन और सूक्ष्म सूचनाओं की आवश्यकता होती है, साधारणतया उन्हें सर्वेक्षण के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता।

(8) सिद्धान्तों के निर्माण में अपर्याप्त—सर्वेक्षण से प्राप्त निष्कर्ष इतने सामान्य प्रकृति के होते हैं कि उनके आधार पर किसी सिद्धान्त का निर्माण नहीं किया जा सकता। सर्वेक्षण के आधार पर किसी समस्या के निराकरण से सम्बन्धित कुछ सुझाव तो दिये जा सकते हैं लेकिन ऐसे नियमों को ज्ञात नहीं किया जा सकता जिनके आधार पर कोई उपयोगी सिद्धान्त बनाया जा सके। यही कारण है कि अधिकांश सामाजिक सर्वेक्षणों का आयोजन किसी सामान्य उपकल्पना का परीक्षण करने के लिए ही किया जाता है।

सामाजिक सर्वेक्षण की सीमाओं अथवा दोषों से यह स्पष्ट होता है कि इस प्रविधि का उपयोग बहुत सावधानी और निष्पक्षता से करके ही उपयोगी निष्कर्ष प्राप्त किये जा सकते हैं। सामाजिक सर्वेक्षण की सफलता बहुत बड़ी सीमा तक सर्वेक्षण करने वाले व्यक्तियों के वैयक्तिक गुणों और व्यवस्थित कार्य-विधि पर आधारित होती है। इसी कारण आज अनेक ऐसी प्रविधियों को विकसित किया जा रहा है जिनकी सहायता से सर्वेक्षणकर्ताओं की निजी भावनाओं पर नियन्त्रण रखकर सर्वेक्षण द्वारा अधिक-से-अधिक वैज्ञानिक तथ्य प्राप्त किये जा सकें।

सामाजिक अनुसन्धान तथा सामाजिक सर्वेक्षण (SOCIAL RESEARCH AND SOCIAL SURVEY)

सामाजिक अनुसन्धान तथा सामाजिक सर्वेक्षण की प्रकृति के विवेचन से स्पष्ट होता है कि इन दोनों की प्रकृति में इतनी अधिक समानता है कि कभी-कभी सामान्य ज्ञान के आधार पर इन दोनों के बीच कोई भी अन्तर स्पष्ट कर सकना अत्यधिक कठिन हो जाता है। वास्तविकता यह है कि अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण का भेद मुख्य रूप से इस तथ्य पर आधारित है कि कोई अनुसन्धान विशुद्ध (Pure) है अथवा व्यावहारिक (Applied)। विशुद्ध अनुसन्धान का मुख्य सम्बन्ध नये ज्ञान के आधार पर सिद्धान्तों का निर्माण करना होता है, जबकि व्यावहारिक अनुसन्धान उपयोगितावादी

होता है। सामाजिक सर्वेक्षण की प्रकृति विशुद्ध अनुसन्धान से सम्बन्धित न होकर व्यावहारिक अनुसन्धान के अधिक निकट है। इसके बाद भी सामाजिक अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण के बीच कुछ आधारभूत भिन्नताएँ हैं। इस दृष्टिकोण से यह आवश्यक हो जाता है कि प्रस्तुत विवेचन में हम सामाजिक अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण के बीच पाई जाने वाली समानताओं तथा भिन्नताओं को समझने का प्रयत्न करें।

अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण में समानताएँ (Similarities)

सामाजिक अनुसन्धान एवं सामाजिक सर्वेक्षण की प्रकृति, उद्देश्यों तथा पद्धतियों में इतनी अधिक समानता है कि एक अवधारणा का उपयोग अक्सर दूसरी के स्थान पर कर लिया जाता है। इन समानताओं को निम्नांकित रूप से समझा जा सकता है—

- (1) सामाजिक अनुसन्धान तथा सामाजिक सर्वेक्षण दोनों का ही सम्बन्ध सामाजिक घटनाओं का व्यवस्थित रूप से अध्ययन करने से है।
- (2) अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण के अन्तर्गत केवल वर्तमान तथ्यों का ही अध्ययन न करके नवीन तथ्यों की खोज करने का भी प्रयत्न किया जाता है।
- (3) ये दोनों इस अर्थ में भी एक-दूसरे के समान हैं कि इनके अन्तर्गत वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा ही घटनाओं का अध्ययन किया जाता है।
- (4) अध्ययन प्रविधियों के दृष्टिकोण से भी अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण एक-दूसरे के समान हैं। उदाहरण के लिए, अवलोकन, निदर्शन, प्रश्नावली, अनुसूची, साक्षात्कार तथा वैयक्तिक अध्ययन जैसी प्रविधियों का उपयोग सर्वेक्षण तथा अनुसन्धान में समान रूप से महत्वपूर्ण है।
- (5) तथ्यों के आधार पर घटनाओं के कार्य-कारण सम्बन्ध को ढूँढना तथा सामाजिक सिद्धान्तों की पुनर्परीक्षा का कार्य इन दोनों में किया जाता है।
- (6) सामाजिक सर्वेक्षण के माध्यम से ही सामाजिक अनुसन्धानकर्ता अपनी परिकल्पनाओं की सत्यता की जाँच करता है। इस दृष्टिकोण से भी सामाजिक सर्वेक्षण तथा अनुसन्धान के बीच एक घनिष्ठ सम्बन्ध है।
- (7) सामाजिक अनुसन्धान तथा अनुसन्धान दोनों का ही उद्देश्य ज्ञान की वृद्धि के द्वारा सामाजिक जीवन को अधिक प्रगतिशील और संगठित बनाना है। इस प्रकार लक्ष्य के दृष्टिकोण से भी इन दोनों को एक-दूसरे से पूर्णतया पृथक् नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि कुछ समाजशास्त्री अब सामाजिक सर्वेक्षण को 'सर्वेक्षण अनुसन्धान' (Survey Research) के नाम से सम्बोधित करने लगे हैं।

अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण में भिन्नताएँ (Differences)

यह सच है कि सामाजिक सर्वेक्षण तथा सामाजिक अनुसन्धान में अनेक समानताएँ हैं लेकिन अध्ययन-क्षेत्र, अध्ययन की प्रकृति, अध्ययन की प्रक्रिया तथा उद्देश्यों के आधार पर इनके बीच अनेक आधारभूत भिन्नताएँ भी विद्यमान हैं। निम्नांकित आधारों पर इन भिन्नताओं को निम्न प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है—

(1) **अध्ययन-क्षेत्र (Scope of Study)**—सामाजिक सर्वेक्षण का अध्ययन-क्षेत्र सामाजिक अनुसन्धान की तुलना में अधिक विस्तृत होता है। साधारणतया एक सामाजिक सर्वेक्षण द्वारा जिन तथ्यों का संकलन किया जाता है, वे एक विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए होते हैं। सर्वेक्षण का अध्ययन-क्षेत्र व्यापक होने का एक कारण यह भी है कि सर्वेक्षणकर्ता को अधिक गहराई में जाकर तथ्यों का अध्ययन नहीं करना पड़ता, जबकि सामाजिक अनुसन्धान के लिए तथ्यों का बहुत सूक्ष्म और गहन अध्ययन करना आवश्यक है। यह कार्य एक छोटे क्षेत्र में ही किया जा सकता है। भारत में होने वाले 'जनगणना सर्वेक्षण' का क्षेत्र सम्पूर्ण देश है जिससे इसकी व्यापकता का अनुमान लगाया जा सकता है।

(2) **परिकल्पना (Hypothesis)**—सामाजिक सर्वेक्षण के लिए किसी परिकल्पना का निर्माण करना आवश्यक नहीं होता। इसके विपरीत, सामाजिक अनुसन्धान की पहली शर्त किसी परिकल्पना

के आधार पर अध्ययन-कार्य करना है। पार्क (Park) ने परिकल्पना के आधार पर सर्वेक्षण तथा अनुसन्धान के अन्तर को स्पष्ट करते हुए कहा है कि "सामाजिक सर्वेक्षण कभी भी परिकल्पना की परीक्षा नहीं करता बल्कि एक क्षेत्र विशेष में व्याप्त समस्याओं को केवल परिभाषित ही करता है।"¹ इस दृष्टिकोण से भी सामाजिक सर्वेक्षण तथा सामाजिक अनुसन्धान की प्रकृति एक-दूसरे से भिन्न है।

(3) **अध्ययन की प्रकृति (Nature of Study)**—सामाजिक सर्वेक्षण की प्रकृति व्यावहारिक अथवा उपयोगितावादी होती है क्योंकि इसके द्वारा व्यावहारिक समस्याओं का अध्ययन करके ऐसे उपयोगी निष्कर्ष दिये जाते हैं जिनसे समस्याओं का समाधान किया जा सके। इसके विपरीत, सामाजिक अनुसन्धान की प्रकृति तुलनात्मक रूप से कहीं अधिक सैद्धान्तिक होती है क्योंकि इसका उद्देश्य नए तथ्यों का अन्वेषण करके सिद्धान्तों का निर्माण करना होता है। इस प्रकार सर्वेक्षण का उद्देश्य वर्तमान तथ्यों को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करना है, जबकि सामाजिक अनुसन्धान का उद्देश्य मानव ज्ञान में वृद्धि करना और अनुसन्धान की प्रविधियों में सुधार करना होता है। इस दृष्टिकोण से सामाजिक अनुसन्धान के उद्देश्य भी एक-दूसरे से कुछ भिन्न होते हैं।

(4) **विषय-वस्तु (Subject-matter)**—सामाजिक सर्वेक्षण की विषय-वस्तु साधारणतया समाज की व्याधिकीय दशाएँ अथवा सामाजिक समस्याएँ होती हैं। इसका कारण यह है कि सर्वेक्षण को विघटनकारी दशाओं का निराकरण करने के एक माध्यम के रूप में देखा जाता है। दूसरी ओर, सामाजिक अनुसन्धान उन सभी सामाजिक घटनाओं से सम्बन्धित हो सकता है जो एक समूह में व्यक्तियों के पारस्परिक सम्बन्धों, अन्तर्क्रियाओं तथा व्यवहारों से सम्बद्ध होती हैं। इस प्रकार अनुसन्धान का उद्देश्य केवल तात्कालिक समस्याओं का निराकरण ढूँढना ही नहीं होता बल्कि उन आधारों को भी खोजना होता है जिनकी सहायता से सामाजिक जीवन को स्वस्थ बनाए रखा जा सके।

(5) **अध्ययन का माध्यम (Media of Study)**—सामाजिक सर्वेक्षण किसके द्वारा सम्पन्न किया जायेगा ? इसके लिए कोई निश्चित नियम नहीं होता। साधारणतया सामाजिक सर्वेक्षण किसी व्यक्ति के अतिरिक्त विभिन्न संगठनों तथा सरकारी विभागों द्वारा भी किया जाता है। अनेक संगठन व्यावसायिक आधार पर दूसरों के लिए सर्वेक्षण कार्य करते हैं। इसके विपरीत, सामाजिक अनुसन्धान का कार्य व्यावसायिक आधार पर नहीं किया जा सकता। ज्ञान की सन्तुष्टि ही सामाजिक अनुसन्धान की सबसे बड़ी प्रेरणा होती है। इस दृष्टिकोण से सामाजिक अनुसन्धान साधारणतया किसी व्यक्ति द्वारा ही किया जाता है।

(6) **अध्ययन की गहनता (Depth to Study)**—सामाजिक सर्वेक्षण किसी तथ्य अथवा घटना को उतनी गहराई से नहीं देखता जैसा कि सामाजिक अनुसन्धान के अन्तर्गत उसे देखा जाता है। फेयरचाइल्ड का कथन है कि "सामाजिक सर्वेक्षण की तुलना में सामाजिक अनुसन्धान अधिक गहन और सूक्ष्म होता है तथा यह सामान्य सिद्धान्तों की खोज से अधिक सम्बन्धित होता है।"² वास्तविकता यह है कि अध्ययन की गहनता के कारण ही सामाजिक अनुसन्धान द्वारा सिद्धान्तों का निर्माण कर सकना सम्भव हो पाता है।

(7) **अध्ययन की व्यवस्था (Arrangement of Study)**—सामाजिक सर्वेक्षण तथा सामाजिक अनुसन्धान की प्रकृति इसलिए भी एक-दूसरे से भिन्न है कि इनसे सम्बन्धित अध्ययन-व्यवस्था में भी पर्याप्त भिन्नता देखने को मिलती है। सामाजिक सर्वेक्षण अक्सर इतने अधिक व्यक्तियों द्वारा किया जाता है कि केन्द्र स्तर से लेकर स्थानीय स्तर तक के सभी कार्यकर्ताओं के कार्य में समन्वय करने के लिए एक बड़े संगठन की आवश्यकता होती है। इस व्यवस्था में किसी भी तरह का व्यवधान पड़ने से पूरे सर्वेक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। दूसरी ओर, सामाजिक अनुसन्धान की सम्पूर्ण व्यवस्था वैयक्तिक प्रयत्नों तथा व्यक्तिगत कुशलता पर ही निर्भर रहती है। अनुसन्धान के अन्तर्गत तथ्यों का एकत्रीकरण, वर्गीकरण, सारणीयन तथा नियमों का प्रतिपादन एक व्यक्ति द्वारा ही किया जाता है।

1 "..... a 'survey' is never research—it is an explanation. It seeks to define problem rather than to test the hypothesis." —Park

2 "Social research differs from social surveys in being more intensive and precise and more concerned with the discovery of general principles." —Fairchild, *Dictionary of Sociology*, p. 291.

(8) अध्ययन की अवधि (Duration of Study)—सामाजिक सर्वेक्षण का सम्बन्ध तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने अथवा एक छोटी अवधि में प्राप्त ज्ञान का उपयोग करने से होता है। साधारणतया किसी विशेष सामाजिक समस्या अथवा विकास कार्यक्रम के प्रभाव से सम्बन्धित सर्वेक्षण के लिए एक विशेष अवधि निर्धारित कर दी जाती है तथा सर्वेक्षणकर्ता को इसी अवधि के अन्दर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। इसके विपरीत, अवधि के दृष्टिकोण से सामाजिक अनुसन्धान तुलनात्मक रूप से दीर्घकालीन होता है क्योंकि एक वैयक्तिक अध्ययनकर्ता बहुत अल्प समय में ही सामाजिक तथ्यों का वैज्ञानिक अध्ययन करके निष्कर्ष प्रस्तुत नहीं कर सकता। अनेक सामाजिक अनुसन्धान पाँच-सात वर्ष या कभी-कभी उससे भी अधिक समय ले लेते हैं।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि सामाजिक सर्वेक्षण तथा सामाजिक अनुसन्धान की प्रकृति एक-दूसरे से काफी भिन्न है। इसके बाद भी यह ध्यान रखना आवश्यक है कि इन दोनों के बीच की भिन्नताएँ मुख्य रूप से सैद्धान्तिक ही हैं। वर्तमान समय में समाजशास्त्रियों का यह मत है कि सामाजिक अनुसन्धान को व्यावहारिक और उपयोगितावादी भी होना चाहिए। यदि कोई सामाजिक अनुसन्धान केवल ज्ञान की प्राप्ति अथवा समालोचना के दृष्टिकोण से ही होता है तो विकासशील देशों में उसकी उपयोगिता को स्वीकार नहीं किया जा सकता। केवल 'ज्ञान के लिए ज्ञान' (Knowledge for the Sake of Knowledge) की प्रवृत्ति का वर्तमान जीवन में अधिक महत्व नहीं है। सामाजिक अनुसन्धान के अन्तर्गत यदि इस विचारधारा को प्रोत्साहन मिलता रहा तो निश्चय ही सामाजिक अनुसन्धान तथा सामाजिक सर्वेक्षण के बीच का अन्तर बहुत तेजी से दूर होता जायेगा।